न्यायालय, अवर न्यायाधीश, प्रथम, पटना सिटी

T.S.-341/2018 (C.I.S. No.-234/2018)

Date	Order	Remarks
05-11-19	वादी की ओर से हाजरी तथा आवेदन–पत्र U/s-74 of the evidence Act, r/w Sec. 151 C.P.C. के तहत दाखिल किया गया है। वादी की ओर से फेहरिस्त के साथ सच्ची प्रतिलिपि दाखिल किया गया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता वाद को संचालित कर निवेदन करते हैं कि वादी की ओर से स्वत्व वाद सं0–338/18 का सभी कागजात एवं आदेश पत्र की सच्ची प्रतिलिपि दाखिल की गयी है, जिसे प्रदर्श करना है। अतः पीठ लिपिक को आदेश दिया जाय कि दाखिल कागजात Public document है, को प्रदर्श किया जाय। सुनी। अभिलेख का अवलोकन की। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वाद में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही जारी है तथा वाद वादी के साक्ष्य हेतु चला आ रहा है। अतः दाखिल कागजात को प्रदर्श किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः पीठ लिपिक को आदेशित किया जाता है कि दाखिल कागजात को प्रदर्श अंकित करें। वाद दिनांक–15.11.19 वास्ते वादी के साक्ष्य हेतु। आज्ञापित अवर न्यायाधीश, प्रथम	
15.11.19	वादी की ओर से साक्षी की हाजरी तथा एक आवेदन–पत्र U/sec. 151 C.P.C. दाखिल किया गया है। वादी अपने दाखिल आवेदन–पत्र को संचालित कर निवेदन करते हैं कि Process Server को समन निर्गत करने का आदेश दिया जाय। सुनी। प्रार्थना स्वीकृत करते हुए वादी को आदेश दिया जाता हैं कि समन का प्रारूप दाखिल करें तत्पश्चात् कार्यालय इस निर्गत करें। वाद में पुकार कराया गया। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता साक्षी के साथ उपस्थित हुए। वादी साक्षी सं0–5. श्यामनंदन प्रसाद का परीक्षण पूर्ण किया गया। परीक्षण के दौरान वकालतन नोटिश दिनांक–	

<u>लगातार</u>	17.09.18 को प्रदर्श–5 तथा निबंधित डाक रसीद दिनांक–17.09.18 को प्रदर्श–5/A को कार्यालय में डाकिया द्वारा प्राप्त बंद लिफाफा, जो बंद से उसे प्रदर्श–6 से 6/ A तथा लिफाफे को प्रदर्श–7 से 7/A को अंकित किया गया। एकपक्षीय कार्यवाही जारी है अतः साक्षी को उन्मुक्त किया जाता है। वाद दिनांक–26.11.19 वास्ते वादी के अगले साक्ष्य हेतु। आज्ञापित अवर न्यायाधीश, प्रथम	